रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 451] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2014/भाद्र 6, 1936
No. 451] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2014/BHADRA 6, 1936

गृह मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अगस्त, 2014

सा.का.नि. 621(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो कम्प्यूटर और प्रणाली प्रभाग संयुक्त उप निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2010 को, सिवाय उन बातों के अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, कम्प्यूटर और प्रणाली प्रभाग में संयुक्त उप निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, कम्प्यूटर और प्रणाली प्रभाग, संयुक्त उप निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**. —पद-संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ, आदि**. —उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निर्हताएँ. —वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति. —जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति. —इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
संयुक्त उप निदेशक	02*(2014) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-4, 37400-67000 रु. + ग्रेड वेतन 8700 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति:** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	शून्य	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) (ii) 50% प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)	**प्रोन्नति :** 800 रु. के विशेष भत्ते के साथ वेतन बैंड 3 में 15600-39100 रु. में 6600 रु. ग्रेड वेतन के साथ सहायक निदेशक जो सहायक निदेशक के साथ-साथ संयुक्त सहायक निदेशक के ग्रेड में 10 वर्ष की संयुक्त सेवा रखते हैं और निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं रखते हैं (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्पयूटर एप्लीकेशन या	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनेगी : (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग –सदस्य (ii) निदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो –सदस्य (iii) संयुक्त सचिव,	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

				कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या एम.टेक (कम्प्यूटर एप्लीकेशन में विशेषज्ञता के साथ) या सूचना प्रौद्योगिकी में कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बी.ई./ बी.टेक। या (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रानिक्स या इलैक्ट्रानिक्स और संचार इंजीनियरी में बी.ई./ बी.टेक। या (ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री। **टिप्पण 1** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हों। **टिप्पण 2** : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए एक जनवरी, 2006 / वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित	गृह मंत्रालय –सदस्य	

				पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/ वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्द्ध-सरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-3, 15600-39100 रु. +ग्रेड वेतन 7600 रु. या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है, और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो : (क) (i) किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन या कम्प्यूटर विज्ञान में मास्टर डिग्री या एम.टेक (कम्प्यूटर एप्लीकेशन में विशेषज्ञता के साथ) या सूचना प्रौद्योगिकी या कम्प्यूटर इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में बी.ई./ बी.टेक, (ii) इलैक्ट्रानिक आँकड़ा प्रसंस्करण या कम्प्यूटर ओरियन्टेड आप्टीमाइजेशन सूचना या सांख्यिकीय		

				प्रणाली में बारह वर्ष का अनुभव जिसमें से वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग और प्रणाली डिजाइन या डिजाइन विकास या कम्प्यूटरीकृत सूचना भंडारण और पुन: प्राप्ति प्रणाली को संगठित करने में कम से कम बारह वर्ष का अनुभव होना चाहिए। या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलैक्ट्रानिक्स या इलैक्ट्रानिक्स और संचार इंजीनियरी में बी.ई./ बी.टेक, (ii) इलैक्ट्रानिक आँकड़ा प्रसंस्करण या कम्प्यूटर ओरियन्टेड आप्टीमाइजेशन सूचना या सांख्यिकीय प्रणाली में तेरह वर्ष का अनुभव जिसमें से वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग और प्रणाली डिजाइन या डिजाइन विकास या कम्प्यूटीकृत सूचना भंडारण और पुन: प्राप्ति प्रणाली को संगठित करने में कम से कम तेरह वर्ष का अनुभव होना चाहिए। या (ग) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर एप्लीकेशन या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर डिग्री; (ii) इलैक्ट्रानिक आँकड़ा प्रसंस्करण या कम्प्यूटर ओरियन्टेड आप्टीमाइजेशन सूचना या सांख्यिकीय प्रणाली में तेरह वर्ष का अनुभव जिसमें से वास्तविक कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग और प्रणाली डिजाइन या डिजाइन, विकास या कम्प्यूटीकृत सूचना भंडारण और पुन: प्राप्ति प्रणाली को संगठित करने में कम से कम तेरह वर्ष का अनुभव हो।		

				टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है जिसके अंतर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) वर्ष से साधारणतया तीन अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अतिम तारीख को 56 वर्ज़ से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा आयोग क सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय		

				इसके जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान को एक ग्रेड वेतन में समान ग्रेड वेतन/वेतनमान के साथ विलय किया गया हो और जहाँ यह फायदा केवल उन पदों को विस्तारित किया गया हो जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।		

[फा. सं. (035)33/2/2010-प्रशा. II/एन.सी.आर.बी.]

एस. सुरेश, कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 25th August, 2014

G.S.R. 621 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Computer and Systems Division, Joint Deputy Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Joint Deputy Director in the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Computer and Systems Division, namely:—

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau, Computer and Systems Division, Joint Deputy Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.-**The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Joint Deputy Director	2* (2014) * (Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Pay band-4, Rs. 37400-67000 with grade pay of Rs. 8700.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission be consulted in making recruitment.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	NIL.	(i) 50% by promotion failing which by deputation (including short - term contract). (ii) 50% by deputation (including short - term contract).	Promotion: Assistant Director in the pay band-3, Rs.15600 - 39100 with the grade pay of Rs. 6600 with special allowance of Rs. 800 with a combined service of ten years' in the grade of Assistant Director as well as Joint Assistant Director and possessing the following educational qualifications: (A) Master's Degree in Computer Applications or Computer Science or Master of Technology (with specialisation in Computer Applications) or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Information Technology or Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology from a recognised University or Institute. or (B) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute. or (C) Bachelor's Degree in Computer Applications or Computer Science or Information Technology from a recognised University or Institute.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- (1) Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman (2) Director, National Crime Records Bureau - Member (3) Joint Secretary, Ministry of Home Affairs - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary while appointing an officer on deputation (including short - term contract).

				Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-Government or Statutory or Autonomous organisations: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' service in the grade		

				rendered after appointment thereto on regular basis in posts in the pay band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs.7600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience : (A) (i) Master's Degree in Computer Applications or Computer Science or Master of Technology (with specialisation in Computer Applications) or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Information Technology or Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology from a recognised University or Institute; (ii) Twelve years' experience of electronic data processing or computer oriented optimisation information or statistical system, out of which seven years' experience shall be in actual computer programming and system design or design, development or organising computerised information storage and retrieval system. or (B) (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Electronics or Electronics and Communication Engineering from a recognised University or Institute; (ii) Thirteen years' experience of electronic data processing or computer oriented optimisation information or statistical system, out of which eight years' experience shall be in actual computer		

				programming and system design or design, development or organising computerised information storage and retrieval system. or (C) (i) Bachelor's degree in Computer Applications or Computer Science or Information Technology from a recognised University or Institute; (ii) Thirteen years' experience of electronic data processing or computer oriented optimisation information or statistical system, out of which eight years' experience shall be in actual computer programming and system design or design, development or organising computerised information storage and retrieval system. **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note 4:** For the purposes of appointment on deputation basis, the		

				service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

[F. No. (035)33/2/2010-Ad.II/NCRB]

S. SURESH KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054